

जाती/५०  
15/6/10

संख्या- 672/49-1-10-1(19)/93

प्रेषक,

वहीद उल्लाह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,  
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2010

विषय:- सहकारी संस्थाओं की अंशपूँजी के लिये नाबार्ड से प्राप्त ऋण के सापेक्ष नाबार्ड को देय मूलधन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010-11.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-134/लेखा-अ/2010-11 दिनांक 26-05-10 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी संस्थाओं की अंशपूँजी में शासन द्वारा अंशदान के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट (लॉग टर्म आपरेशन) फण्ड से लिये गये ऋणों पर दिनांक 29-6-2010 को नाबार्ड को देय मूलधन की किश्त की धनराशि रू० 22,92,200.00 (मु० बाइस लाख बयानबबे हजार दो सौ रू० मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु रू० 22,92,200.00 (मु० बाइस लाख बयानबबे हजार दो सौ रू० मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि के आहरण एवं वितरण हेतु आपको प्राधिकृत किया जाता है। कृपया उक्त धनराशि का आहरण करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ को देय तिथि पर भुगतान कराने का कष्ट करें।

3- कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि नाबार्ड द्वारा चार्ज की गयी धनराशि वांछनीय है।

4- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में कृषि तथा सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) की अनुदान संख्या-18 के लेखाशीर्षक "6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-आयोजनेत्तर-105-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज-03-लिये गये ऋणों का प्रतिदान-30-निवेश/ऋण(आवृत्त) के नामे डाला जायेगा। (भारित)

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-3/यू०ओ०-233/दस-2010 दिनांक 14 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कुंठ  
14.6.2010  
(नील रतन कुमार)  
संयुक्त सचिव  
वित्त विभाग, उ० प्र० शासन

भक्वीय,  
(वहीद उल्लाह)  
संयुक्त सचिव।

(८)

संख्या- 672 (1)/49-1-10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त धनराशि का बिल प्रस्तुत होने पर उसके आहरण हेतु आदेश तुरन्त प्रदान करने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 11-विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 5- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/4
- 6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
- 7- सहकारिता अनुभाग-3
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोओपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।

अस्तासु  
2/6/10

आज्ञा से,

(वहीद उल्लाह)  
संयुक्त सचिव।